

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक-24 अक्टूबर, 2001

विषय : रूग्ण औद्योगिक इकाईयों को पुर्नवासन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अर्द्धशा0 पत्रांक यू0ओ051/77-4-2001, दिनांक 29 सितम्बर, 2001 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूग्ण इकाईयों की सरप्लस भूमि का भू-उपयोग उक्त क्षेत्र के लिये प्रस्तावित आवासीय/वाणिज्यिक उपयोग के रूप में प्रयोग किये जाने संबंधी औद्योगिक विकास विभाग के नीति विषयक शासनादेश संख्या यू0ओ0 51/87-4-2001, दिनांक 31 मार्च, 2001 को आवास विभाग द्वारा भी अंगीकार कर लिया गया है। भू-उपयोग प्रयोग परिवर्तन की यह सुविधा उन्हीं शर्तों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार होगी जो औद्योगिक विकास विभाग के अधीन प्राधिकरणों आदि के संबंध में लागू हैं।

2. उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी, यथा उद्योग बन्धु, को प्रस्तुत किया जायेगा, तथा नोडल अधिकारी यह परीक्षण करने के उपरान्त कि प्रश्नगत रूग्ण इकाई के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में निर्धारित सभी शर्तें पूर्ण हो रही हैं, वे स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव संबंधित विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

3. औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव सर्वोच्च प्राथमिकता पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायेंगा। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता

प्रमुख सचिव।

संख्या :- 4501(1)/9-आ-3-2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ०प्र० ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र० ।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०, लखनऊ ।
4. उद्योग बन्धु, उ०प्र० ।
5. आवास बन्धु, उ०प्र० ।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान

विशेष सचिव ।